विधि एवं न्याय विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अप्रैल 15, 1957

संख्या एफ. 4 (29)एल.जे. 56:- राजस्थान आफिशियल लेंग्वेज एक्ट, 1956 (संख्या 47 ऑफ 1956) की धारा 4 के अनुसरण में, राजस्थान गजट (राज-पत्र) एक्ट, 1956 (संख्या 45, 1956) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। मूल एक्ट अंग्रेजी भाषा में राजस्थान राज-पत्र विशषांक भाग 4 (क) दिनांक 31 दिसम्बर 1956 में प्रकाशित किया जा चुका है।

राजस्थान गजट (राज-पत्र) अधिनियम, 1956

(अधिनियम संख्या 45, 1956)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 दिसम्बर, 1956 को प्राप्त हुई)

राज्य के लिये राजकीय राज-पत्र जारी तथा प्रकाशित करने का प्रावधान करने हेतु अधिनियम।

चूंकि राजस्थान राज्य तथा अन्य सहायक विषयों के हेतु राजकीय राज-पत्र जारी तथा प्रकाशित करने का प्रावधान करना इष्टकर है:

अतएव राजस्थान राज्य विधान-मंडल द्वारा भारत के सातवें वर्ष में निम्न- रूपेण अधिनियमित किया जाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तारः- (1) यह अधिनियम राजस्थान गजट (राज-पत्र) अधिनियम, 1956 कहलायेगा।

2. इसका विस्तार समस्त राजस्थान राज्य में होगा।

2. व्याख्याः- (1) इस अधिनियम में, जब तक विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ‘‘नियत दिन’’ से तात्पर्य 1 नवम्बर, 1956 से है, तथा

(ख) ‘‘राज्य’’ से तात्पर्य स्टेट्स रोआर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 (केन्द्रीय एक्ट संख्या 37 सन् 1956) की धारा 10 द्वारा निर्मित नये राजस्थान से है।

(2) प्राक्-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रभावशील राजस्थान जनरल क्लाजेज एक्ट, 144 (राजस्थान का अधिनियम संख्या 8 सन् 1955) के प्रावधान, यथा संभव, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम पर लागू होगें।

(3) राजकीय राज-पत्र जारी तथा प्रकाशित करनाः- नियत तारीख से, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन, राज्य का एक राजकीय राज-पत्र जारी तथा प्रकाशित किया जायेगा जो राजस्थान गजट (राज-पत्र) कहलायेगा।

(4) नियम बनाने तथा आदेश देने की शक्तिः- इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये, राज्य सरकार, नियम बना सकेगी तथा आदेश दे सकेगी।

(5) निरसन तथा व्यावृतिः- पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान राज्य में प्रभावशील राजस्थान गजट (राज-पत्र) अध्यादेश 1949 (राजस्थान अध्यादेश संख्या 2 सन् 1949), राजस्थान गजट (राज-पत्र) अध्यादेश, 1956 (राजस्थान अध्यादेश संख्या 7 सन् 1956) तथा आबू, अजमेर एवं सुनेल क्षेत्रों में प्रभावशील कोई तत्संबंधी कानून और उन कानूनों के अधीन निर्मित, नियमों तथा आदेशों को, यदि कोई हो, एतत् द्वारा निरसित किया जाता हैः

किन्तु एतदद्वारा निरसित उक्त राजस्थान गजट (राज-पत्र) अध्यादेश, 1949 के अन्तर्गत निर्मित नियम तथा दिये गये आदेश, इस अधिनियम के अधीन नये नियम बनाये जाने तथा नये आदेश दिये जाने तक, सतत् प्रभावशील रहेंगे और इसके अन्तर्गत बनाये गये समझे जायेंगे।